भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1088

जिसका उत्तर सोमवार, 2 दिसम्बर, 2024/11 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया

नाबालिगों के लिए पेंशन योजनाएं

1088. श्रीमती साजदा अहमद:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अवयस्कों के लिए कोई पेंशन योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन पेंशन योजनाओं के लिए सरकार के योगदान का हिस्सा कितना है और इसे किस तरीके से संरचित किया जा रहा है; और

(घ) इन योजनाओं के अंतर्गत नामांकित लाभार्थियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ) : एक पेंशनयुक्त समाज बनाने के उद्देश्य से एनपीएस-वात्सल्य योजना, अवयस्क के लिए एक अंशदायी पेंशन योजना, का शुभारंभ 18 सितंबर, 2024 को किया गया था। यह योजना अभिभावकों के लिए तैयार की गई है, इसमें नाबालिग अभिदाता के लिए न्यूनतम 1000 रुपये प्रति वर्ष का योगदान किया जा सकता है, इसमें अधिकतम योगदान की कोई सीमा नहीं है। अभिदाता के व्यस्क होने पर, इस खाते को सहजता से एनपीएस खाते में परिवर्तित किया जा सकता है। यह योजना पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा विनियमित प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी), जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और गैर-बैंकिंग संस्थाएं शामिल है, के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

दिनांक 17.11.2024 की स्थिति के अनुसार, एनपीएस-वात्सल्य के तहत कुल 66,495 अभिदाताओं को नामांकित किया गया है और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार नामांकन का ब्यौरा अनुबंध क में दिया गया है।

****

अनुबंध-क

दिनांक 02.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत "नाबालिगों के लिए पेंशन योजनाएं" के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1088 का उत्तर

एनपीएस वात्सल्य के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अभिदाता

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	अभिदाताओं की सं.
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	59
2	आंध्र प्रदेश	7433
3	अरुणाचल प्रदेश	40
4	असम	1088
5	बिहार	2308
6	चंडीगढ़	142
7	छत्तीसगढ	1121
8	दादरा एवं नगर हवेली	23
9	दमन और दीव	0
10	दिल्ली	2519
11	गोवा	257
12	गुजरात	2936
13	हरियाणा	1695
14	हिमाचल प्रदेश	608
15	जम्मू और कश्मीर	164
16	झारखंड	1566
17	कर्नाटक	6640
18	केरल	3618
19	लद्दाख	1
20	लक्षद्वीप	5
21	मध्य प्रदेश	2002
22	महाराष्ट्र	9219
23	मणिपुर	177
24	मेघालय	86
25	मिजोरम	62
26	नागालैंड	84
27	ओडिशा	2336
28	पुदुचेरी	122
29	पंजाब	996
30	राजस्थान	2267
31	सिक्किम	45
32	तमिलनाडु	4955
33	तेलंगाना	2329
34	त्रिपुरा	116
35	उत्तर प्रदेश	5012
36	उत्तराखंड	679
37	पश्चिम बंगाल	3665
38	अन्य	120
कुल		**66495**

स्रोत: पीएफआरडीए